

अध्याय 08: संघ विधायिका — संसद (संगठन, पीठासीन अधिकारी, विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय नियंत्रण) — शॉर्ट नोट्स

1. संसद का संगठन एवं द्विसदनीय संरचना (अनुच्छेद 79, 80 एवं 81)

संवैधानिक अंग	अनुच्छेद	संवैधानिक प्रावधान एवं संस्थागत भूमिका
संसद के 3 अंग	अनु. 79	संसद = राष्ट्रपति + राज्य परिषद (राज्यसभा) + जनता का सदन (लोकसभा); राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि उसके हस्ताक्षर बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता
राज्यसभा (उच्च सदन)	अनु. 80	राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व; स्थायी सदन (कभी भंग नहीं); 6 वर्ष कार्यकाल; 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त; संघीय संतुलन का प्रतीक
लोकसभा (निम्न सदन)	अनु. 81	भारत की संपूर्ण जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व; लोकप्रिय सदन; सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष; समय से पूर्व विघटन संभव; कार्यपालिका इसी के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह

तुलनात्मक आयाम	राज्यसभा (Council of States)	लोकसभा (House of the People)
अधिकतम सदस्य संख्या	250 (238 राज्यों/UTs से अप्रत्यक्ष निर्वाचित + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)	550 (530 राज्यों से + 20 UTs से प्रत्यक्ष निर्वाचित; 104वें संशोधन से 2 एंग्लो-इंडियन समाप्त)
वर्तमान सदस्य संख्या	245 (225 राज्यों से + 8 UTs से [दिल्ली 3, पुदुचेरी 1, J&K 4] + 12 मनोनीत)	543 (524 राज्यों से + 19 केंद्रशासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष निर्वाचित)
निर्वाचन पद्धति	राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (एकल संक्रमणीय मत, खुला मतदान)	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार (18 वर्ष, 61वां संशोधन 1988) द्वारा प्रत्यक्ष मतदान (First-Past-The-Post)
न्यूनतम आयु सीमा	न्यूनतम 30 वर्ष (अनुच्छेद 84)	न्यूनतम 25 वर्ष (अनुच्छेद 84)

2. परिसीमन आयोग एवं आरक्षण संशोधन (अनु. 82, 330, 332, 334)

संशोधन / प्रावधान	वर्ष	संवैधानिक प्रभाव एवं निर्धारित समय-सीमा
84वां संशोधन अधिनियम	2001	लोकसभा व राज्यों की विधानसभा सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2026 तक के लिए स्थिर (Freeze) किया गया; जनसंख्या आधार 1971 की जनगणना
87वां संशोधन अधिनियम	2003	राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन/परिसीमन हेतु जनसंख्या का आधार वर्ष 1991 से बदलकर 2001 की जनगणना किया गया
104वां संशोधन अधिनियम	2019	अनुच्छेद 334 में संशोधन कर SC/ST आरक्षण को 2030 (10 वर्ष) तक बढ़ाया गया; लोकसभा व विधानसभाओं में 2 एंग्लो-इंडियन मनोनयन को समाप्त किया
106वां संशोधन अधिनियम	2023	नारी शक्ति वंदन अधिनियम: लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु 33% (1/3) सीटें आरक्षित; 2026 के परिसीमन के बाद 15 वर्ष हेतु प्रभावी

3. संसद की सदस्यता — अर्हताएं, शपथ एवं स्थान रिक्त होना (अनु. 84, 99, 101)

संवैधानिक विषय	अनुच्छेद	विहित शर्तें, विधिक प्रक्रिया एवं नियम
सदस्यता अर्हताएं	अनु. 84	भारत का नागरिक; न्यूनतम आयु (LS 25 वर्ष, RS 30 वर्ष); चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ; जनप्रतिनिधित्व कानून (RPA 1951) की शर्तें
शपथ या प्रतिज्ञान	अनु. 99	राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति (प्रोटेम स्पीकर) के समक्ष तीसरी अनुसूची अनुसार शपथ; बिना शपथ भाग लेने पर ₹ 500 प्रतिदिन जुर्माना (अनु. 104)
दोहरी सदस्यता (अनु. 101)	विधिक नियम	1. दोनों सदनों में चुने जाने पर 10 दिन में बताना होगा, अन्यथा राज्यसभा सीट रिक्त; 2. एक सदन में रहते दूसरे में चुने जाने पर पहला पद रिक्त; 3. संसद + राज्य विधानसभा चुने जाने पर 14 दिन में विधानसभा न छोड़ने पर संसद सीट रिक्त
त्यागपत्र एवं अनुपस्थिति	अनु. 101	त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष/राज्यसभा सभापति को; यदि कोई सदस्य बिना अनुमति सदन की बैठकों से लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे, तो सदन सीट रिक्त घोषित कर सकता है

4. सांसदों की अयोग्यताएं (अनुच्छेद 102 एवं 10वीं अनुसूची — दलबदल)

अयोग्यता का आधार	संवैधानिक / विधिक प्रावधान	निर्णायक प्राधिकारी
सामान्य संवैधानिक अयोग्यताएं (अनु. 102(1))	संघ/राज्य में लाभ का पद (Office of Profit) धारण करना; विकृतचित्त (न्यायालय द्वारा घोषित); दिवालिया; अनिवासी/विदेशी नागरिकता ग्रहण करना	राष्ट्रपति द्वारा निर्णय (चुनाव आयोग की बाध्यकारी सलाह अनुसार अनु. 103)
वैधानिक अयोग्यताएं (RPA 1951)	भ्रष्ट चुनावी आचरण; 2 वर्ष या अधिक का कारावास (लिली थॉमस वाद 2013); छुआछूत, दहेज, सती प्रथा का समर्थन; सरकारी अनुबंध में हित	राष्ट्रपति द्वारा निर्णय (चुनाव आयोग की बाध्यकारी सलाह अनुसार)

अयोग्यता का आधार	संवैधानिक / विधिक प्रावधान	निर्णायक प्राधिकारी
दलबदल निरोधक कानून (10वीं अनुसूची)	52वां संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई: 1. स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना, 2. पार्टी क्षिप के विरुद्ध मतदान करना या अनुपस्थित रहना (15 दिन में माफी न मिले), 3. निर्दलीय सदस्य का किसी दल में शामिल होना, 4. मनोनीत सदस्य का 6 माह बाद किसी दल में शामिल होना	संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी (स्पीकर/सभापति) द्वारा; किहोटो होलोहन वाद (1992): पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन

संसद सत्र एवं लोकसभा विघटन पर विधेयकों का व्यपगत होना (Lapsing of Bills — अनु. 107): 1. लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त (Lapse) हो जाते हैं; 2. लोकसभा द्वारा पारित परंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं; 3. जो विधेयक राज्यसभा में लंबित हों परंतु लोकसभा द्वारा पारित न किए गए हों, वे समाप्त नहीं होते; 4. दोनों सदनों द्वारा पारित व राष्ट्रपति की सहमति हेतु लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते; 5. राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक समाप्त नहीं होते।

5. लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (अनुच्छेद 93–96)

विषय / आयाम	संवैधानिक प्रावधान, कार्यप्रणाली एवं विशेषाधिकार
निर्वाचन एवं पदमुक्ति	लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा निर्वाचन; पदमुक्ति: लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) द्वारा 14 दिन की पूर्व नोटिस पर
निर्णायक मत (Casting Vote)	अनुच्छेद 100: अध्यक्ष प्रथमतः मत नहीं देता; पक्ष-विपक्ष में मत बराबर (टाई) होने की स्थिति में ही निर्णायक मत देता है (निष्पक्षता का प्रतीक)
धन विधेयक पर अंतिम निर्णय	अनुच्छेद 110(3): कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम व बाध्यकारी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है; न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता	अनुच्छेद 118(4): संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है (उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, फिर उपसभापति)
दलबदल पर न्यायाधिकरण	10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय अध्यक्ष करता है; किहोटो होलोहन (1992) के अनुसार अध्यक्ष न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है
उपाध्यक्ष एवं प्रोटेम स्पीकर	उपाध्यक्ष (अनु. 93) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है (परंपरा अनुसार विपक्ष से); प्रोटेम स्पीकर (Speaker Pro-tem) राष्ट्रपति द्वारा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सांसद को नियुक्त; नव-सांसदों को शपथ दिलाना व नए अध्यक्ष का चुनाव

6. राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी एवं सदन के पदाधिकारी

पद / संस्था	संवैधानिक स्थिति, निर्वाचन एवं कार्य
राज्यसभा के सभापति (अनु. 89)	उपराष्ट्रपति पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होते हैं; वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते; सदन में केवल टाई होने पर निर्णायक मत देते हैं; जब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो सभापति का वेतन नहीं पाते
राज्यसभा के उपसभापति (अनु. 89)	राज्यसभा के सदस्यों में से साधारण बहुमत द्वारा निर्वाचित; सभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता; पदमुक्ति प्रभावी बहुमत द्वारा (14 दिन नोटिस); प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी
सदन का नेता (Leader of House)	लोकसभा में प्रधानमंत्री (या उनके द्वारा मनोनीत मंत्री); राज्यसभा में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री; विधायी कार्यों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी
विपक्ष का नेता (Leader of Opp.)	सदन के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, जिसके पास सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 (10%) सदस्य हों; 1977 से कैबिनेट मंत्री का विधिक दर्जा प्राप्त
सचेतक (क्षिप — Whip)	ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित संस्था (संविधान या नियम पुस्तिका में उल्लेख नहीं); प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त; सदन में सदस्यों की उपस्थिति व दल-नीति अनुसार मतदान सुनिश्चित करना

7. संसदीय कार्यवाही के प्रमुख साधन (प्रश्नकाल, शून्यकाल आदि)

संसदीय उपकरण	समय-सीमा	प्रकृति, प्रक्रिया एवं विशेष नियम
प्रश्नकाल (Question Hour)	बैठक का प्रथम घंटा (11:00 AM से 12:00 PM)	मंत्रियों से सरकार के कामकाज पर प्रश्न पूछना; 3 प्रकार के प्रश्न: 1. तारांकित (Starred — मौखिक उत्तर + पूरक प्रश्न अनुमत), 2. अतारांकित (Unstarred — लिखित उत्तर + पूरक नहीं), 3. अल्प-सूचना (Short Notice — 10 दिन से कम नोटिस, मौखिक उत्तर)
शून्यकाल (Zero Hour)	प्रश्नकाल के तुरंत बाद (12:00 PM से 1:00 PM)	भारतीय संसदीय नवाचार (1962 से प्रारंभ); प्रक्रिया नियमों में कोई उल्लेख नहीं; बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाना
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention)	पीठासीन अधिकारी की अनुमति से	भारतीय नवाचार (1954 से); अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना व आधिकारिक बयान मांगना
आधे घंटे की चर्चा	सप्ताह में 3 दिन (बैठक के अंतिम 30 मिनट)	पर्याप्त लोक महत्व के ऐसे मामले पर चर्चा जिसका उत्तर प्रश्नकाल में पहले दिया जा चुका हो; कोई औपचारिक मतदान नहीं

8. महत्वपूर्ण संसदीय प्रस्ताव (Parliamentary Motions)

प्रस्ताव का प्रकार	सदन / नियम	प्रकृति, उद्देश्य एवं संवैधानिक प्रभाव
अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion)	केवल लोकसभा (नियम 198)	कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य; कारण बताना आवश्यक नहीं; यदि पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को तत्काल त्यागपत्र देना पड़ता है (अनु. 75(3))

प्रस्ताव का प्रकार	सदन / नियम	प्रकृति, उद्देश्य एवं संवैधानिक प्रभाव
निंदा प्रस्ताव (Censure Motion)	केवल लोकसभा	कारण बताना अनिवार्य; किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह की विशिष्ट नीतियों के विरुद्ध लाया जाता है; पारित होने पर सरकार का इस्तीफा अनिवार्य नहीं
स्थगन / काम रोको प्रस्ताव (Adjournment Motion)	दोनों सदन (सामान्यतः LS)	सदन की नियमित कार्यवाही रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा; 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य; न्यूनतम 2.5 घंटे चर्चा; सरकार की कड़ी निंदा
धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks)	दोनों सदन (अनु. 87)	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा व मतदान; इसका पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा सरकार का अल्पमत माना जाता है

9. भारतीय संसद में प्रयुक्त बहुमत के प्रकार (Types of Majorities)

बहुमत का प्रकार	विधिक परिभाषा / सूत्र	प्रमुख संवैधानिक अनुप्रयोग
साधारण बहुमत (Simple Majority)	उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का > 50%	साधारण/धन/वित्त विधेयक, बजट, अविश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रपति शासन (अनु. 356), वित्तीय आपात (अनु. 360)
प्रभावी बहुमत (Effective Majority)	तत्कालीन कुल सदस्य संख्या (कुल सीटें - रिक्तियां) का > 50%	लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा उपसभापति को पद से हटाना (अनु. 67(b), 94)
पूर्ण बहुमत (Absolute Majority)	सदन की कुल सदस्य संख्या (स्वीकृत क्षमता) का > 50%	केवल आम चुनाव के बाद सरकार बनाने/विश्वास मत आंकने में प्रयुक्त; अकेले किसी विधेयक में नहीं
विशेष बहुमत प्रकार-1	उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3	अनुच्छेद 249 (राज्य सूची पर कानून बनाने की RS शक्ति) एवं अनुच्छेद 312 (नई अखिल भारतीय सेवा सृजन)
विशेष बहुमत प्रकार-2	सदन की कुल सदस्य संख्या का > 50% + उपस्थित व मतदान का 2/3	अनुच्छेद 368 (संविधान संशोधन), सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG), मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को पद से हटाना, राष्ट्रीय आपात (अनु. 352)
विशेष बहुमत प्रकार-3	सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत (कठोरतम)	अनुच्छेद 61 (राष्ट्रपति पर महाभियोग — संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का 2/3)

कोरम या गणपूर्ति (अनुच्छेद 100(3)): सदन की बैठक आयोजित करने हेतु न्यूनतम 1/10 (10%) सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है (लोकसभा में 55 सदस्य, राज्यसभा में 25 सदस्य)। कोरम न होने पर पीठासीन अधिकारी का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर दे या बैठक को निलंबित रखे।

10. साधारण विधेयक के 5 विधायी चरण (अनुच्छेद 107 एवं 111)

विधायी चरण	संसदीय प्रक्रिया एवं विधिक गतिविधियां
1. प्रथम वाचन (First Reading)	सदन में विधेयक पेश करने हेतु अनुमति मांगना, शीर्षक व उद्देश्यों का वाचन तथा भारत के राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन; इस चरण पर कोई चर्चा नहीं होती
2. द्वितीय वाचन (Second Reading)	सर्वाधिक महत्वपूर्ण व विस्तृत चरण; 3 उप-चरण: (a) सामान्य चर्चा, (b) समिति चरण (प्रवर समिति या संयुक्त समिति द्वारा सूक्ष्म संवीक्षा), (c) विचारण चरण (खंडवार विचार व संशोधन मतदान)
3. तृतीय वाचन (Third Reading)	विधेयक को संपूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने पर मतदान; कोई बड़ा संशोधन नहीं लाया जा सकता; साधारण बहुमत से पारित
4. द्वितीय सदन में प्रक्रिया	विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है; दूसरा सदन: 1. पारित कर सकता है, 2. संशोधनों सहित लौटा सकता है, 3. अस्वीकार कर सकता है, या 4. 6 माह तक लंबित रख सकता है
5. राष्ट्रपति की स्वीकृति (अनु. 111)	सहमति दे सकता है (कानून बन जाता है), सहमति रोक सकता है (आत्यंतिक वीटो), या पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है (निलंबनकारी वीटो; पुनः पारित होने पर सहमति बाध्यकारी)

11. धन विधेयक (अनु. 110) बनाम वित्त विधेयक (अनु. 117)

तुलनात्मक आयाम	धन विधेयक (Money Bill — अनु. 110)	वित्त विधेयक श्रेणी-I (अनु. 117(1))	वित्त विधेयक श्रेणी-II (अनु. 117(3))
विषय-वस्तु	केवल अनुच्छेद 110(1) में उल्लिखित 6 विषय (कर लगाना/हटाना, ऋण, संचित निधि से धन)	अनुच्छेद 110 के मामले + अन्य सामान्य विधायी विषय	केवल भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित उपबंध (अनु. 110 का कोई विषय नहीं)
प्रस्तुति का सदन	केवल लोकसभा में प्रस्तुत (राज्यसभा में नहीं)	केवल लोकसभा में प्रस्तुत (राज्यसभा में नहीं)	संसद के किसी भी सदन (LS या RS) में प्रस्तुत
राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति	अनिवार्य (केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर)	अनिवार्य (केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर)	प्रस्तुति हेतु नहीं; केवल विचारण (Consideration) चरण हेतु अनिवार्य
राज्यसभा की शक्तियां	अत्यंत सीमित; केवल 14 दिन रोक सकती है; संशोधन केवल अनुशंसित; लोकसभा मानने को बाध्य नहीं	साधारण विधेयक के समान पूर्ण शक्तियां; अस्वीकार या संशोधित कर सकती है	साधारण विधेयक के समान पूर्ण शक्तियां; अस्वीकार या संशोधित कर सकती है
स्पीकर का प्रमाण पत्र	लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणीकरण अनिवार्य व अंतिम	अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं	अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं

तुलनात्मक आयाम	धन विधेयक (Money Bill — अनु. 110)	वित्त विधेयक श्रेणी-I (अनु. 117(1))	वित्त विधेयक श्रेणी-II (अनु. 117(3))
संयुक्त बैठक (अनु. 108)	पूर्णतः वर्जित (कोई संयुक्त बैठक नहीं)	गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक संभव	गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक संभव

12. संसद की संयुक्त बैठक (Joint Sitting — अनुच्छेद 108)

संयुक्त बैठक के पहलू	संवैधानिक प्रावधान, प्रक्रिया एवं विधिक परिणाम
आहूत करने का आधार	साधारण या वित्त विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध: 1. दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर दे, 2. संशोधनों पर अंतिम असहमति हो, या 3. दूसरा सदन 6 माह तक अनिर्णय रखे
समनकर्ता एवं अध्यक्ष	राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है; अध्यक्षता: लोकसभा अध्यक्ष (अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा उपसभापति; सभापति कभी अध्यक्षता नहीं करते)
विधेयक पारित करने का नियम	उपस्थित एवं मतदान करने वाले दोनों सदनों के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा; लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने से उसका पक्ष भारी रहता है
किन विधेयकों पर वर्जित	1. धन विधेयक (Money Bill — अनु. 110) पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती; 2. संविधान संशोधन विधेयक (अनु. 368) पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है
ऐतिहासिक दृष्टांत (3 बार)	1. दहेज प्रतिषेध विधेयक (1961), 2. बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक (1978), 3. आतंकवाद निवारण विधेयक (POTA 2002)

13. बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण — अनु. 112) एवं इसके 6 चरण

बजट के 6 चरण	संसदीय गतिविधि एवं विधिक महत्व
1. बजट प्रस्तुतिकरण	वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट भाषण; बजट के भाग: A (आर्थिक सर्वेक्षण व नीतियां) एवं B (कराधान प्रस्ताव); इस दिन कोई चर्चा नहीं
2. आम चर्चा (General Discussion)	दोनों सदनों में बजट के सामान्य सिद्धांतों पर 3-4 दिन चर्चा; कोई मतदान या कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता
3. विभागीय समितियों द्वारा संवीक्षा	सदन 3-4 सप्ताह हेतु स्थगित; 24 विभागीय स्थायी समितियां (DRSCs) मंत्रालयों की अनुदान मांगों की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देती हैं
4. अनुदान मांगों पर मतदान (अनु. 113)	केवल लोकसभा में मतदान (राज्यसभा को मतदान का अधिकार नहीं); मंत्रालयों की मांगों पर अलग-अलग मतदान; कटौती प्रस्ताव इसी चरण में
5. विनियोग विधेयक पारित होना (अनु. 114)	भारत की संचित निधि से धन निकालने की विधिक अनुमति; बिना विनियोग अधिनियम के संचित निधि से ₹ 1 भी नहीं निकाला जा सकता
6. वित्त विधेयक पारित होना (अनु. 117)	सरकार के करधान प्रस्तावों को कानूनी रूप देना; 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित होना अनिवार्य

कटौती प्रस्ताव (Cut Motions)	प्रकार एवं उद्देश्य	पारित होने का परिणाम
नीतिगत कटौती (Policy Cut)	मांग की राशि घटाकर ₹1 कर दी जाए; सरकार की संपूर्ण नीति की अस्वीकृति	यदि कोई भी कटौती प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार के प्रति अविश्वास माना जाता है और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है
आर्थिक कटौती (Economy Cut)	मांग में से एक निश्चित राशि कम की जाए; सरकारी व्यय में मितव्ययिता लाना	सरकारी बहुमत की परीक्षा
सांकेतिक कटौती (Token Cut)	मांग में ₹100 की सांकेतिक कटौती; किसी विशिष्ट शिकायत/मुद्दे को रेखांकित करना	प्रशासनिक जवाबदेही तय करना

गिलोटिन (Guillotine): बजट सत्र में अनुदान मांगों पर मतदान हेतु निर्धारित समय समाप्त होने पर, चाहे चर्चा पूरी हुई हो या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष बची हुई सभी अनुदान मांगों को बिना चर्चा के एक साथ मतदान हेतु रख देता है। इसे संसदीय शब्दावली में 'गिलोटिन' कहा जाता है।

14. भारत की तीन संवैधानिक निधियां (अनुच्छेद 266 एवं 267)

निधि का नाम	अनुच्छेद	प्राप्ति स्रोत, नियंत्रण एवं निकासी की प्रक्रिया
भारत की संचित निधि (Consolidated Fund)	अनु. 266(1)	सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, लिए गए ऋण तथा ऋणों की अदायगी से प्राप्त धन; संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम (अनु. 114) के बिना इसमें से कोई धन नहीं निकाला जा सकता; इस पर 'भारित व्यय' (Charged Expenditure) पर मतदान नहीं होता, केवल चर्चा होती है
भारत का लोक लेखा (Public Account)	अनु. 266(2)	संचित निधि के अलावा अन्य सभी सार्वजनिक राशियां (उदा. भविष्य निधि PF, बचत बैंक जमा, न्यायिक जमा, प्रेषण); कार्यपालिका के नियंत्रण में; संसदीय पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं
भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)	अनु. 267(1)	अप्रत्याशित या आपातकालीन व्यय हेतु राष्ट्रपति के अधीन; वित्त सचिव राष्ट्रपति की ओर से संचालन करता है; संसद से बाद में घटनोत्तर स्वीकृति अनिवार्य; 2021 में इसकी राशि ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹30,000 करोड़ की गई

15. संसदीय विशेषाधिकार (Privileges — अनु. 105 एवं 194)

विशेषाधिकार श्रेणी	संवैधानिक प्रावधान, विधिक संरक्षण एवं अपवाद
व्यक्तिगत विशेषाधिकार	1. संसद सत्र के दौरान तथा सत्र के 40 दिन पूर्व व 40 दिन बाद तक दीवानी (Civil) मामलों में गिरफ्तारी से छूट (आपराधिक या निवारक हिरासत में कोई छूट नहीं); 2. सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता (न्यायालय में कोई वाद नहीं अनु. 105(2)); 3. सत्र के दौरान गवाह बनने से छूट

विशेषाधिकार श्रेणी	संवैधानिक प्रावधान, विधिक संरक्षण एवं अपवाद
सामूहिक विशेषाधिकार	1. अपनी बहसों व कार्यवाहियों को प्रकाशित करने अथवा गैर-सदस्यों को प्रतिबंधित करने का अधिकार; 2. गुप्त बैठक (Secret Sitting) आयोजित करने का अधिकार; 3. विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना हेतु सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों को दंडित/जेल भेजने का अधिकार (Court of Record की तरह); 4. न्यायालयों द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच का निषेध (अनु. 122)

16. प्रमुख वित्तीय एवं संसदीय समितियां (Parliamentary Committees)

समिति का नाम	स्थापना	सदस्य संख्या	प्रमुख कार्य, अधिकार क्षेत्र एवं सीमाएं
लोक लेखा समिति (PAC)	1921 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)	22 (15 LS + 7 RS) [अनुपातिक प्रतिनिधित्व]	कैग (CAG) की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की सूक्ष्म जांच; सरकारी धन के अपव्यय की जांच; 1967 से अध्यक्ष अनिवार्यतः विपक्ष से; 'प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन'; कैग इसका 'मित्र, दार्शनिक व मार्गदर्शक'
प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)	1950 (जॉन मथाई की सिफारिश पर)	30 (सभी 30 केवल लोकसभा से; राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं)	संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति; बजट अनुमानों की जांच; प्रशासनिक दक्षता व सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता सुझाना; 'सतत मितव्ययिता समिति (Continuous Economy Committee)'; केवल बजट प्रस्तुति के बाद सक्रिय
सार्वजनिक उपक्रम समिति (CoPU)	1964 (कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति)	22 (15 LS + 7 RS)	सरकारी कंपनियों व सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के वित्तीय लेखों, दक्षता व कैग रिपोर्टों की संवीक्षा; व्यावसायिक सिद्धांतों का मूल्यांकन
विभागीय स्थायी समितियां (DRSCs)	1993 (वर्तमान में 24 समितियां)	31 प्रत्येक (21 LS + 10 RS = कुल 744)	संबंधित मंत्रालयों की अनुदान मांगों, विधेयकों व दीर्घकालिक नीतियों की गहन संवीक्षा; 16 लोकसभा व 8 राज्यसभा के अधीन

17. राज्यसभा की अनन्य / विशेष शक्तियां (Exclusive Powers)

संवैधानिक प्रावधान	अनुच्छेद	राज्यसभा का विशेष क्षेत्राधिकार एवं संघीय महत्व
राज्य सूची पर विधि निर्माण	अनु. 249	उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर 1 वर्ष हेतु कानून बनाने का अधिकार देना
नई अखिल भारतीय सेवा	अनु. 312	उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवा (उदा. भारतीय वन सेवा IFS 1966) के सृजन का संसद को अधिकार
उपराष्ट्रपति पदमुक्ति	अनु. 67(b)	उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पुरःस्थापित हो सकता है; प्रभावी बहुमत से पारित होना अनिवार्य
आपातकाल का अनुमोदन	अनु. 352, 356	यदि लोकसभा भंग हो गई हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन केवल राज्यसभा द्वारा 1 माह / 2 माह में किया जा सकता है

18. संसद के प्रमुख अनुच्छेदों का त्वरित संदर्भ चार्ट (Quick Reference)

अनुच्छेद	संवैधानिक विषय	अनुच्छेद	संवैधानिक विषय
अनु. 79	संसद का गठन (राष्ट्रपति + RS + LS)	अनु. 105	संसदीय विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां
अनु. 80	राज्यसभा की संरचना (250 सदस्य)	अनु. 108	दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting)
अनु. 81	लोकसभा की संरचना (550 सदस्य)	अनु. 110	धन विधेयक की संवैधानिक परिभाषा
अनु. 85	संसद सत्र, सत्रावसान एवं लोकसभा विघटन	अनु. 112	वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट)
अनु. 93	लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष	अनु. 114	विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)
अनु. 100	कोरम (1/10) एवं अध्यक्ष का निर्णायक मत	अनु. 123	राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण शक्ति

संसदीय संप्रभुता बनाम संवैधानिक सर्वोच्चता: ब्रिटिश संसद के विपरीत (जहाँ संसद संप्रभु है), भारत में संसद संप्रभु नहीं है। भारत में 'संविधान की सर्वोच्चता' है। लिखित संविधान, संघात्मक ढांचा, मूल अधिकार और न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review — अनु. 13) की शक्ति संसद की शक्तियों को सीमित करती है।